

सं. ए -12039/03/2022-स्था.III

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

विज्ञापन सं डीएसटी / 05 / 2023-स्था.III

आवेदन, निम्नलिखित विवरणानुसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक 'जी' के '01' पद को सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति के (अल्पावधि संविदा सहित (आईएसटीसी)) आधार पर भरे जाने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं:-

पद का नाम : वैज्ञानिक 'जी'

1. वेतन मैट्रिक्स में स्तर : वेतन मैट्रिक्स रु. 144200-218200 (पूर्व-संशोधित रु. 37400-67000 और ग्रेड वेतन रु.10,000/-) में स्तर -14

2. रिक्तियों की कुल संख्या : एक (01)

3. भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) के आधार पर। अभ्यर्थी अपनी पात्रता और इच्छा के अनुसार नियुक्ति के पसंदीदा तरीके को जैसे कि डीआर द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या इन दोनों में से किसी एक द्वारा स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करेंगे। डीआर आधार पर नियुक्ति के मामले में, जो अभ्यर्थी पहले से ही नियोजित हैं, उन्हें मूल संगठन में अपने मूल पद से इस्तीफे / तकनीकी इस्तीफे के लिए सहमति प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी।

4. पद की प्रकृति : स्थायी

5. प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) आधार पर चयन की स्थिति में प्रतिनियुक्ति की अवधि:

केंद्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि **आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी**, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अधिकतम 5 वर्ष अथवा 60 वर्ष की आयु प्राप्ति, अर्थात् वैज्ञानिक जी के पद की अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की आयु, जो भी पहले हो, तक आगे बढ़ाया जा सकता है।

6. अनिवार्य अर्हता एवं अनुभव:

अनिवार्य:

- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राकृतिक विज्ञान अथवा कृषि विज्ञान में डॉक्टरेट डिग्री अथवा अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी अथवा चिकित्साशास्त्र में निष्णात की डिग्री या समतुल्य ।
- औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थान अथवा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठन अथवा वैज्ञानिक गतिविधि और सेवा के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास के कार्य में पंद्रह वर्षों का अनुभव जिसमें से सात वर्षों का अनुभव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के प्रशासन, आयोजना, विकास तथा सहयोग के क्षेत्र में होगा ।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के निर्माण, प्रबंधन तथा निर्देशन का अनुभव; और
- उच्च मानक का प्रकाशित अनुसंधान कार्य।

वांछनीय:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान से प्राकृतिक विज्ञान अथवा कृषि विज्ञान में पोस्टडॉक्टरेट अनुसंधान या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या चिकित्साशास्त्र में डॉक्टरेट डिग्री जो विश्वविद्यालय या संस्थान के प्रमाणन से साक्षात्कृत हो और नामी पत्रिका में अनुसंधान कार्य का प्रकाशन;

टिप्पणी: अनिवार्य अर्हता प्राप्त करने में व्यतीत अवधि को अनुभव में नहीं जोड़ा जाएगा। तथापि, किसी विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान में पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान में व्यतीत अवधि जिसे उक्त विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा साक्षात्कृत किया गया हो, और अधिकतम दो वर्षों की अवधि के अध्यक्षीन प्रतिष्ठित पत्रिका में अनुसंधान कार्य के प्रकाशन को अनुभव में जोड़ा जाएगा।

7. प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) के आधार पर भर्ती के मामले में, किस ग्रेड में से प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की जानी है:

- i. भारत अथवा विदेश में केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद: (i) जो नियमित आधार पर अनुरूप पद धारक हों; (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स 131100-216600 रुपये (पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-4, 37400-67000 रुपये के साथ ग्रेड पे 8900 रुपये) में वेतन स्तर 13क में नियमित आधार पर नियुक्ति उपरांत ग्रेड में दो वर्ष की सेवा कर चुके हों; (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स 123100-215900 रुपये (पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-4, 37400-67000 रुपये के साथ ग्रेड पे 8900 रुपये) के वेतन स्तर 13 में नियमित आधार पर नियुक्ति उपरांत ग्रेड में चार वर्ष की सेवा कर चुके हों, और ;
- ii. उपर्युक्त पैरा 6 में विहित शैक्षिक योग्यता और अनुभव के धारक हों।

टिप्पणी: फीडर श्रेणी में विभागीय अभ्यर्थी, जो लोचशील संपूरक योजना (एफसीए) के तहत स्वस्थाने पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, ऐसे संवर्ग बाह्य पद को छोड़कर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचार के लिए पात्र नहीं होंगे, जिसके लिए वे फीडर श्रेणी अधिकारी नहीं हैं। इसी तरह, प्रतिनियुक्त व्यक्ति एफसीएस के तहत स्वस्थाने पदोन्नति पर विचार के लिए पात्र नहीं होगा।

8. आयु सीमा:

प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति हेतु: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

सीधी भर्ती आधार पर नियुक्ति हेतु: सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 50 वर्ष होगी। ऊपरी आयु सीमा में केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कार्मिकों हेतु पांच वर्ष तक की छूट दी गई

है। आयु सीमा में कोई अन्य छूट, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशनुसार होगी। वैज्ञानिक 'जी' के पद हेतु अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है।

9. छानबीन और चयन प्रक्रिया: छानबीन और चयन प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा यथाविहित होगी। पात्रता समिति, छानबीन-सह-लघुसूचीयन समिति और साक्षात्कार बोर्ड आदि की संरचना केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होगी। तथापि, छानबीन-सह-लघुसूचीयन समिति और साक्षात्कार बोर्ड में अध्यक्ष सहित अधिकांश सदस्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से बाहर के होंगे। छानबीन प्रक्रिया में, यदि आवश्यक माना जाता है तो, छानबीन प्रक्रिया में केंद्र सरकार द्वारा सीधे या विषयक्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले किसी अन्य केंद्र सरकारी एजेंसी द्वारा अथवा संगठन के जरिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा शामिल होगी।

10. सामान्य:

- i. विभाग बिना कोई कारण बताए किसी भी समय भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर सकता है।
- ii. संबंधित भर्ती नियमों को निम्नलिखित यूआरएल पर जाकर देखा जा सकता है: <https://dst.gov.in/sites/default/files/gazetted-post-2013.pdf>। प्रत्याशित आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले इसे देखें।
- iii. प्रत्याशित आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे www.dst.gov.in पर इस विभाग की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें। भर्ती प्रक्रिया के बारे में कोई भी अनुशेष / शुद्धिपत्र या कोई भी अपडेट केवल इस विभाग की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा।
- iv. विहित अनिवार्य अर्हता न्यूनतम है और उक्त अर्हता धारण करने मात्र से किसी आवेदक को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यदि विज्ञापन के उत्तर में बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो विभाग सुपरिभाषित मानदंड जिनमें विज्ञापन में विहित से अधिक वांछनीय अर्हता और/या अनुभव और/अथवा विभाग की विशिष्ट अपेक्षा के अनुरूप क्षेत्र विशेष में अर्हता/अनुभव का धारण शामिल होगा, के आधार पर लघुसूचीयन प्रक्रिया के जरिए साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या उचित रूप में सीमित कर देगा। साक्षात्कार हेतु न बुलाए गए/नियुक्ति हेतु चयन न किए गए अभ्यर्थियों का कोई पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार की संयाचना का परिणाम अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित करने के रूप में होगा।
- v. चूंकि साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले आवेदकों को शॉर्टलिस्ट करने के मानदंड न्यूनतम पात्रता मानदंडों से उच्चतर बनाए जा सकते हैं, इसलिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पूरी शैक्षिक योग्यता और या / अनुभव के साथ-साथ अपनी अभ्यर्थिता के समर्थन में किसी भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों जैसे शोध पत्रों की सूची आदि को दर्शाएँ / अपलोड करें।
- vi. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी आदेशानुसार कहीं भी तैनात किया जा सकता है।
- vii. नियुक्ति के निबंधन और शर्तें डीएसटी भर्ती नियमों और समय-समय पर जारी किए गए अन्य प्रासंगिक नियमों और आदेशों के अनुसार होंगे।
- viii. पद के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को बाद में अपनी अभ्यर्थिता वापस

लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. आवेदन कैसे करें: आवेदन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण हैं:

क. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना: योग्य आवेदकों को पहले ऑनलाइन पोर्टल <https://recruitment.dst.gov.in/> के माध्यम से वैध ईमेल आईडी का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। आवेदन करने के लिए यह ऑनलाइन पोर्टल रोजगार समाचार/ में विज्ञापन की तिथि से 45 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध होगा।

- क. आवेदकों को पोर्टल पर प्रासंगिक प्रमाण पत्र/दस्तावेज (शैक्षणिक और अनुभव योग्यता, जन्म तिथि विकलांगता, समुदाय/जाति आदि के समर्थन में) अपलोड करना चाहिए। अपाठ्य/गलत प्रमाणपत्र अपलोड करने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
- ख. कार्य/अनुसंधान कार्य के अनुभव/रोजगार प्रमाण पत्र में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, कार्यभारमुक्त होने की तिथि तथा पद के वेतन स्तर सहित धारित पद का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यदि किसी आवेदक ने एक ही संगठन में विभिन्न पदों / स्तरों (पदोन्नति आदि के कारण) पर काम किया है, तो अनुभव / रोजगार प्रमाण पत्र में प्रत्येक पद / स्तर पर व्यतीत अवधि और प्रत्येक पद स्तर पर 'कब से' और 'कब तक' की अवधि स्पष्टया दर्शाई जानी होगी।
- ग. आवेदक को आवेदन में किए गए दावे के संबंध में मूल दस्तावेज जब कभी अपेक्षित होने पर प्रस्तुत करना होगा।
- घ. विदेशी विश्वविद्यालय (यों)/संस्थान (नों) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू), नई दिल्ली द्वारा समतुल्यता प्रमाण-पत्र के रूप में प्रमाणित होने ही चाहिए। तथापि, यदि जहां एआईयू उन विषयों के मामले में विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त ऐसी पेशेवर डिग्री की समतुल्यता के आवेदन पर विचार नहीं करता है, जो इस समय एआईयू के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं और जहां ऐसे मामलों का समाधान संबंधित पेशेवर परिषदों (भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त) द्वारा किया जाता है, तो आवेदक को ऐसी पेशेवर परिषद द्वारा जारी समतुल्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को जब कभी अपेक्षित होने पर उन सभी मूल प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करना होगा।
- ङ. सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों आदि में कार्यरत अभ्यर्थी उस संगठन, जहां वे सेवा कर रहे हैं, के सक्षम प्राधिकारी से उपाबंध । में विनिर्दिष्ट संरूप में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) अपलोड कर सकते हैं ।
- च. यदि आवेदक राज्य सरकार/पीएसयू/स्वायत्त संगठन/विश्वविद्यालय आदि में वर्तमान में कार्यरत है, जहां वेतनमान केंद्र सरकार के वेतनमान के समान नहीं है, तो अभ्यर्थी को राजपत्र अधिसूचना/सरकारी आदेश अपलोड करना

होगा जिसमें राज्य सरकार/पीएसयू/स्वायत्त संगठन/विश्वविद्यालय आदि के ऐसे वेतनमानों को केंद्र सरकार में 7वें सीपीसी के अनुरूप वेतनमान/स्तर के बराबर किया गया है। इस संबंध में ऐसी समतुल्यता प्रदान करने का दायित्व आवेदक पर होगा और ऐसे मामलों में, विभाग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

ख. आवेदन की हार्ड कॉपी की पंजीकृत या स्पीड पोस्ट द्वारा प्रस्तुति (केवल प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) आधार पर आवेदन करने पर अपेक्षित है):

(क) उपरोक्त पैरा 11.क में उल्लिखित के अनुसार, भर्ती पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, कंप्यूटर-जनरेटेड आवेदन की हार्ड कॉपी (अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित) अभ्यर्थी द्वारा ली जानी चाहिए। आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न दस्तावेजों/प्रमाणपत्र का कोई प्रिंटआउट अग्रेषित करने की अपेक्षा नहीं है।

(ख) सरकारी विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / स्वायत्त संगठनों / विश्वविद्यालयों / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने **आवेदन की हार्ड कॉपी, उचित माध्यम से विधिवत हस्ताक्षरित करके भेजनी** चाहिए। ऐसे आवेदनों पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब वे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित संरूप (उपाबंध - 1) में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित 'प्रमाणपत्र' के साथ उचित माध्यम से प्राप्त होंगे।

(ग) यदि आवेदन की भौतिक प्रतियां अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होती हैं तो उन पर **विचार नहीं किया जाएगा**, भले ही ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि से पहले पूर्ण रूप में किया गया हो। इसलिए, ऐसे अभ्यर्थियों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने विभाग/संगठन में अपने आवेदनों का अनुवर्तन करें और सुनिश्चित करें कि उनके आवेदन, सभी प्रकार से पूर्ण और उनके सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित, निर्धारित समय सीमा के भीतर इस विभाग को प्राप्त हो जाएं। साथ ही, किसी भी रूप में अपूर्ण आवेदन पत्र को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। डाक विलंब या संबंधित अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा अग्रेषण में देरी आदि सहित किसी भी कारण से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। **इस संबंध में कोई छूट नहीं दी जाएगी।**

(घ) अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन प्रपत्र पिछले पांच वर्षों के एसीआर/एपीएआर की सत्यापित प्रतियों के साथ उचित माध्यम से **अवर सचिव (स्थापना-III), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 को ऑनलाइन पोर्टल के बंद होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर** (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, और हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला और चंबा जिले का पांगी उपमंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए 30 दिन) पंजीकृत डाक या **स्पीड पोस्ट द्वारा अग्रेषित किया जाना अपेक्षित है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे साधारण डाक या कूरियर के माध्यम से आवेदन न भेजें।**

(ङ) निर्धारित समय और तिथि के भीतर प्राप्त आवेदनों की एक सूची आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद डीएसटी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदनों की स्थिति की जांच करते रहें। इस संबंध में


कोई भी अभ्यावेदन (निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त आवेदनों की सूची में नाम शामिल न होना) निर्धारित समय सीमा के भीतर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में आवेदन के भेजने के प्रासंगिक प्रमाण के साथ वेबसाइट पर सूची पोस्ट करने की तारीख से सात दिनों के भीतर दाखिल किया जा सकता है।

(च) आवेदनों की अग्रिम प्रतियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

12. टिप्पणियाँ :

क. दिनांक 04.02.2023 के रोजगार समाचार संस्करण में प्रकाशित प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) आधार पर डीएसटी में वैज्ञानिक 'जी' के एक पद को भरने के लिए विज्ञापन सं. डीएसटी/04/2022-एसटी-III को रद्द कर दिया गया है। इस विज्ञापन अर्थात् विज्ञापन सं. डीएसटी/05/2023-स्था.111 के प्रत्युत्तर में प्राप्त केवल नए आवेदनों पर, पद पर चयन करने हेतु, विचार किया जाएगा।

ख. विज्ञापन के अंग्रेजी और हिंदी रूपांतरों के बीच कोई भी विसंगति पाई जाने पर, अंग्रेजी रूपांतर अभिभावी होगा।



(विनोद कुमार शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रमाण-पत्र

(संगठन/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी किया जाए)

- (i) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ने दिनांक को इस संगठन में(पद का नाम) पद पर वेतन स्तर (7वें सीपीसी के अनुसार) में कार्यभार ग्रहण किया और वे (पद का नाम) पद पर वेतन स्तर (7वें सीपीसी के अनुसार) में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं/रही हैं।
- (ii) प्रमाणित किया जाता है कि उनके विवरण की जांच की गई और सही पाया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक/सतर्कता कार्यवाही लंबित अथवा अवेक्षित नहीं है। अधिकारी की सत्यनिष्ठा भी प्रमाणित है।
- (iii) श्री/श्रीमती/सुश्री के आवेदन की अनुशंसा की जाती है। उनका चयन हो जाने पर विभाग/संगठन उन्हें भारमुक्त कर देगा।
- (iv) पिछले पांच वर्षों की एसीआर/एपीएआर की प्रतियां भी संलग्न हैं, (यदि प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) के आधार पर आवेदन किया जाता है)
- (v) पिछले दस वर्षों के दौरान अधिरोपित बड़ी और/या छोटी शास्ति को दर्शाने वाला विवरण भी संलग्न है

स्थान:
मुहर
दिनांक:

संगठन/ कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर एवं कार्यालय की